स्पीड पोस्ट द्वारा

DGT-TCD031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 05.02.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
एस. आर. डी. प्राइवेट आईटीआई,
वाजिदपुर सिकंदर राव, जिला - हाथरस,
उत्तर प्रदेश - 204215

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

इस निदेशालय को दिनांक 01.02.2021 को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमे बताया गया है कि एस. आर. डी. प्राइवेट आईटीआई, (MIS Code PR09002051) में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयी हैं जोकि इस प्रकार है :-

1. आईटीआई अपने मान्यता हेतु वर्णित स्थल / भवन में संचालित न होकर बिना मान्यता स्थल / भवन बारमाउ मोड़ पर संचालित है ।
2. उक्त आपटीआई का भवन मानानुसार निर्मित भी नहीं है, अपूर्ण है ।
3. आईटीआई संचालन / प्रशिक्षण हेतु मानकानुसार कोई मशीनउपकरण भी भवन में उपलब्ध नही है ।
4. आईटीआई की मान्यता हेतु एक अनिवार्य शर्त विधुतकनेक्शन भी मान्यता से लेकर आज तक विधुत विभाग से पाप्त नही किया गया है ।
5. कूटरचित विधुत सयोंजन संख्या - 781708626180 व विधुत बिल रसीदों के अधार पर मान्यता प्राप्तकर वर्तमान में भी किसी विभागीय जाँच आदि के समय कूटरचित प्रपत्रों का प्रयोग कर विभाग को गुमराह किया जाता है कूटरचित बिल की प्रति संलग्न है ।
6. आईटीआई में प्रशिक्षण हेतु कोई स्टाफ / शिक्षक कार्यरत नही है ।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 22.02.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए
- शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे|

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है ।

(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण

O/C
CR Please issue
09-02-2021